अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

146/2020/225 विष्णु कुमार जोशी बनाम भूपेन्द्र सिंह

तारीख पेशी	2020/00146 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री सुरेन्द्र शर्मा श्री पी.के. जैन-1 (डूंगरसिंह-1)	

विष्णु कुमार जोशी बनाम भूपेन्द्र सिंह

23.9.20 पत्रावली वास्ते आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र पेश हुयी। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि वादी/प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद घोषणा का प्रस्तुत किया है। घोषणा का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 की उपधारा 01से 04 के तहत् ही प्रस्तुत किया जा सकता है। वादी का प्रश्नगत आराजीयात से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है अपितु विवादित आराजीयात प्रतिवादी/अपीलार्थी की क्रयशुदा आराजीयात है जो कि विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है। वादी भूपेन्द्र सिंह का प्रश्नगत आराजीयात से किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है। वाद के अभिवचनो से भी वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया जा सकता है। वादी न तो खातेदार काश्तकार है न ही सहखातेदार है न ही उपकृषक है तथा वे समस्त विधिक प्रावधानों को दरकिनार करके अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसे प्रकरण में एक पक्षीय स्थगन आदेश जारी किया है जो सर्वथा अविधिक है तथा विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तो के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की अपीलांट को कभी भी जानकारी नही रही है यह कि दिनांक 17.08.2020 को एक अन्य प्रकरण मांगीलाल बनाम भंवर लाल में अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुए थे एवं उसी दिन उक्त वाद पत्र में प्रसारित एक पक्षीय स्थगन आदेश की जानकारी प्रार्थी/अपीलांट को हुई। जमाबंदी प्राप्त होते ही बगैर विलम्ब के अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से परे जाकर आदेश दिनांक 15.06.2020 को पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। न्यायायल से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 15.06.2020 की क्रियान्विति को स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र निवेदन किया कि विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में जो आपसी सहमति हुई थी उसके तहत् उक्त भूमि में राधा कॉलोनी विकसित कर उसमें भूखण्ड, दुकाने काटकर लोगो को विक्रय की जा रही है जिसके तहत् उपरोक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थी के नाम दर्ज होने से उसके द्वारा ही भूखण्डो को विक्रय पंजीबद्ध करवाये जा रहे है। जिससे अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी से हुई सहमति के अनुसार प्रार्थी को उसका हिस्सा अदा नही किया जा रहा है, न सहमति के अनुसार प्रार्थी से उक्त भूमि के बाबत् अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी को कोई उसका हिस्सा न देकर अपनी मनमर्जी से विक्रय किया जा रहा है जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से कहॉ कि उपरोक्त विवादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 2/5 हिस्सा है तथा उक्त 2/5 हिस्से का प्रार्थी के द्वारा खातेदार को भुगतान अदा किया गया है। विवादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से के लिए प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.06.2020 को विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जाने के आदेश दिये है जिससे किसी भी पक्षकारान को क्षति उत्पन्न नही होती है। अपीलांट ने यह अपील जानकारी होते हुए भी मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट को कोई आपत्ति है तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करना चाहिए था, जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलांट की यह अपील अन्तरिम स्थगन आदेश की विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है। न्यायालय

लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

FORM NO III

APP-A

Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विष्णु कुमार जोशी बनाम भूपेन्द्र सिंह

किस्म मुकदमा 225 RT Act नम्बर 00146/2020 सन् 2020 ( )

23

2020/00146

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
23/11/2018	श्री सुरेन्द्र शर्मा श्री वी.के जैन-1 (डूंगर सिंह-1) हाजा से प्रार्थना है कि अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत अपील ही संधारण योग्य नही होने से अपीलांट स्थगन प्राप्त करने का अधिकार नही रखते है। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की बहस पर मनन किया गया। हम न्यायहित में अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार अपील को अन्दर मियाद शुमार करना न्यायोचित एवं आवश्यक समझते है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि अपीलार्थी विवादित आराजीयात का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा जमाबंदी में अपीलार्थी का नाम दर्ज है। अपीलार्थी मौके पर उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त चला आ रहा हैं इसलिए कानूनन एक रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 15.06.2020 को विवादित आराजी खसरा नम्बर 7895/6448, 7896/6467 कुल किता 2 कुल रकबा 2.5480 वाके ग्राम दूदू की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखना चाहिए था जो उनके द्वारा नही किया गया एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य व सुनवाई के द्वारा किया जाना है। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है। अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांट एवं उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में आवश्यक रूप से निर्णित करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 23/9/20 राजस्व अपील अधिकारी अजमेर	